न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील संख्या :- 106/15 अन्तर्गत धारा 223 आर० टी० एक्ट

उनवान :- राजोबाई बनाम संतोष वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
2-11-2018	प्रार्थी रेस्पो० के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेशी पर ली गई । प्रार्थी रेस्पो० ने अपने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा हो गया है, जो राजीनामा करीब 3 माह पूर्व ही उभयपक्ष ने अदालत हाजा में प्रस्तुत कर दिया था । अतः मुताबिक राजीनामा अपील का निस्तारण कर दिया जावे । जवाब में विद्वान वकील अपीलांट अप्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र पर नो ऑब्जेक्शन अंकित कर मुताबिक राजीनामा के अनुसार अपील का निस्तारण करने की अपनी मौखिक सहमति जाहिर की है । हमने राजीनामा पर गौर किया । राजीनामा में निवेदन किया गया है कि तहत न्यायालय द्वारा मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार से कुर्रे कायमी रिपोर्ट तलब की गई थी । कुर्रेजात रिपोर्ट व उसके साथ संलग्न नजरी नक्शे में वर्णित आराजी पर मौके पर भौतिक कब्जे बाबत विवाद चला आ रहा था । जिस विवाद के कारण ही अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई थी । परन्तु अब पक्षकारान में आपसी राजीनामा हो गया है । तहसीलदार की कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 14.9.2015 के अनुसार ही पक्षकारान काबिज है और अपीलांट उक्त रिपोर्ट से सहमत है, अब कोई विवाद नहीं है । विवादित आराजी खसरा नम्बर 145 कुल रकबा 1.59 हेक्टेयर वाके ग्राम लुहादेरा की बाबत परस्पर लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया गयास है तथा उभयपक्ष कुर्रेजात रिपोर्ट व उसके साथ संलग्न नक शे में वर्णित आराजी के बंटवारे में आयी आराजी के भाग पर काबिज हो गये हैं तथा वर्तमान में उभयपक्ष के मध्य भौतिक कब्जे बाबत किसी प्रकार का विवाद नहीं है । अतः मुताबिक राजीनामा अपील का निस्तारण कर दिया जावे । इसके पश्चात आदेश 23 नियम 3 सी० पी० सी० में दिये गये प्रावधानों का अध्ययन किया । इसमें प्रतिपादित किया गया है कि अगर राजीनामा लिखित में हो, उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा किसी विधि द्वारा वर्जित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

न हो तो प्रकरण का निस्तारण मुताबित राजीनामा कर देना चाहिये । मौजूदा प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा उभयपक्ष की आपसी सहमति से लिखित में तथा उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित है तथा किसी विधि द्वारा वर्जित होना भी प्रतीत नहीं होता है । अपीलांट ने कुर्रेजात रिपोर्ट और भौतिक कब्जे को लेकर यह अपील प्रस्तुत की है । अब उसे इस रिपोर्ट से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, इसका तात्पर्य यही है कि वो इस अपील में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहता है । ऐसी स्थिति में आदेश 23 नियम 03 सी0 पी0 सी0 में दिये गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट मुताबिक राजीनामा खारिज किये जाने योग्य है ।

अतः आदेश है कि मुताबिक राजीनामा अपील अपीलांट खारिज की जाती है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned with Can